65

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्षः– श्री एस0 एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1581–तीन/13 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 31–03–2012 के द्वारा न्यायालय अपर कलेक्टर जिला उमरिया के प्रकरण क्रमांक 21/स्व0 निग0/2010–11.

....

1–रमेश कुमार विश्वकर्मा पिता राम खेलावन विश्वकर्मा
निवासी मान्सुर जिला उमरिया म0 प्र0
2–रामसुदीन उर्फ दाऊ बैगा पिता स्व0 बारेलाल
निवासी ग्राम बरबसपुर जिला उमरिया म0प्र0

---आवेदकगण

विरूद्ध

1–श्यामलाल काछी पिता विसम्भर काछी
निवासी ग्राम बरबसपुर जिला उमरिया म0प्र0
2–म0 प्र0 शासन

--- अनावेदकगण

....

श्री आर0 के0 विश्वकर्मा, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री महेन्द्र कुमार अग्निहोत्री, अभिभाषक, अनावेदक–1

....

आदेश
(आज दिनांक 5/4/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला उमरिया द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–03–2012 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2– प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनुविभागीय अधिकारी बांधवगढ के प्रकरण कमांक 80/अ–19/(4) 97–98 प्रतिवेदन दिनांक 13.10.97 के द्वारा नायब तहसीलदार मानुपर के प्रकरण कमांक 147/अ–19/(4) 87–88 में पारित आदेश दिनांक 20.7.88 में ग्राम

बरबसपुर तहसील मानुपर की भूमि सव्रे कमांक 135/1 रकवा 1.619 है0 के भूमिस्वामी श्यामलाल पिता विशम्भर काछी निवासी बरबसपुर को कृषि प्रयोजन हेतु म0 प्र0 ग्रामों की दखलरहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदाय किया जाना विशेष उपबंध अधिनियम 1984 के अंतर्गत तहसील मानपुर न्यायालय द्वार प्रदाय की गई थी।

3–आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि ग्राम बरबसपुर पटवारी हल्का मान्सुर जिला उमरिया के खसरा कमांक 135/1 रकवा 1.619 है0 का भूमिस्वामी अधिकार अनावेदक कमांक–1 को बैधानिक प्रकिया व नियामें का पालन किये बिना जरिये प्रकरण कमांक 147/अ–19/(4)87–88 में पारित आदेश दिनांक 20.7.88 के विरूद्व स्वप्ररणा निगरानी अनुविभागीय अधिकारी बांधवगढ के द्वारा भूमिस्वामी के अधिकारों के प्रदान में हुई अनियमितता के अधार पर स्वप्रेरणा निगरानी के लिये प्रतिवेदन भेजे जाने पर निगरानी में अपर कलेक्टर उमरिया द्वारा अनियमितता पर ध्यान न देते हुये भूमिस्वामी अधिकार के प्रदान के नियमों का खुला उल्लंघन कर भूमि विकय रामसुशील उपाध्याय को दिनांक 10.8.88 को किये जाने से शर्तो के उल्लंघन की ओर ध्यान न देते हुये न्याय विवेक का उपयोग न कर आवेदक की निगरानी निरस्त करने में त्रुटि की है । आवेदक अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी बांधवगढ को दी गई जानकारी एवं भूमि में सन् 1970 के पूर्व आवेदक कमांक–2 भूमिहीन होने से मकान बनाकर निवासरत हैं आवेदक कमांक–1 का 1980 से मौके पर काबिज कास्त है। आवेदकगण के द्वारा यह भी कहा गया है कि अनावेदक कमांक –1 अपात्र होते हुये भी नायब तहसीलदार मान्सुर से उक्त आराजी का भूमिस्वामी अधिकार प्रदान करने में स्पष्ट रूप से त्रुटि गई है। आवेदकगण का यह भी तर्क है कि नायब तहसीलदार मान्सुर में आवेदकगण का कब्जा होते हुये भी उसे बिना सुनवाई का अवसर दिये तथा बिना तलब किये हितबद्व पक्षकार बनाने में अन देखी कर पुनरीक्षण निरस्त करने में त्रुटि की गई है। आवेदकगण अधिवक्ता का अनुरोध है कि आवेदक की निगरानी स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

4– अनावेदक के अधिवक्ता द्वारा लेखी बहस प्रस्तुत कर अनुरोध किया गया भूमि नं0 135 स्थित ग्राम बरबसपुर का काफी बड़ा रकवा था जो रकवा अभिलेखों में शासकीय दर्ज होता

था। उक्त भूमि के अंश भाग 1.169 है0 अनावेदक के स्वत्व सामित्व व आधिपत्य में बहुत पहले से था जिसके बाबत नायब तहसीलदार ने अनावेदक के आवेदन में विधिसंवत सुनवाई के बाद दिनांक 20.7.88 को म0प्र0 कृषि भूमियों में भूमिस्वामी अधिकारों को प्रदान किया जाना (विशेष उपबन्ध अधिनियम) 1984 के अधीन जो कि स्वयंमेव एक घोषणात्मक प्रावधान है भूमिस्वामी के रूप में घोषित किया तदानुसार राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज भी किया। नायब तहसीलदार के मूल आदेश दिनांक 20.7.88 को निगरानी कर्ता ने कभी किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दिया, ऐसी स्थिति में जो अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 31.3.12 के द्वारा जिसके द्वारा आदेश दिनांक 20.7.88 में स्वप्रेरणा निगरानी में ग्रहण करने से इंकार करने से स्वप्रेरणा निगरानी प्रकरण समाप्त किया गया। निगानी दायर करके चुनौती देने का न तो औचित्य है न कोई विधि आधार ही है। अनावेदक अधिवक्ता का लेखी बहस में लेख है कि आवेदक विचारण न्यायालय में अथवा प्रथम पुनरीक्षणीय न्यायालय अपर कलेक्टर के न्यायालय में पक्षकार नहीं थे, ऐसी स्थिति में उन्हें अपर कलेक्टर के आदेश को चुनौती देने अथवा उस आदेश के विरूद्व निगरानी दायर करने का कोई भी हक व अधिकार नहीं है। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश उचित होने से स्थिर रखा जावे तथा आवेदक की निगरानी निरस्त की जावे।

5–उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने तथा प्रकरण में प्रस्तुत लेखी बहस का अध्ययन किया गया। प्रकरण में संलग्न अभिलेखों का परिशीलन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय के मूल प्रकरण एवं अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त प्रतिवेदन के परीक्षण करने एवं अधिक स्थितियों के परिशीलन उपरांत तहसील न्यायालय द्वारा अनावेदक को प्रदान किये गये भूमिस्वामी अधिकार में किसी प्रकार की अनियमितता व अवैधानिकता का होना नहीं पाया गया है इस की विवेचना अपर कलेक्टर जिला उमरिया द्वारा भी अपने आदेश में की गई है।

6–प्रकरण में यह तथ्य सर्व प्रथम देखना है कि प्रकरण की ग्राह्यता के विषय में विचारणीय बिन्दु यह है कि :–

अ– कोई भी व्यक्ति यदि मूल आदेश को चुनौती नहीं दिया और अपर कलेक्टर मूल आदेश को स्वप्रेरणा निगरानी में मामला चलाने का आधार न होना वर्णित करके

स्वप्रेरणा निगरानी का प्रकरण समाप्त कर दिया तो क्या अन्य व्यक्ति ऐसे आदेश को चुनौती दे सकता है?

ब–नायब तहसीलदार ने जो आदेश दिनांक 20.7.88 को पारित किया उस आदेश को यदि अपर कलेक्टर ने स्वप्रेरणा निगरानी में प्रकरण पंजीबद्व करने के बाद बिचारण न्यायालय के आदेश को रदद् करने का आधार मान्य नहीं किया और प्रकरण समाप्त किया तो ऐसे आदेश को तीसरा व्यक्ति निगरानी दायर करके राजस्व में चुनौती दे सकता है? राजस्व निर्णण 2013 पृष्ठ–8 में तो 180 की भी समय सीमा अधिक माना गया है।

इससे स्पष्ट है कि आवेदकगण द्वारा जो निगरानी प्रस्तुत की गई है वह निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपर कलेक्टर जिला उमरिया के आदेश दिनांक 31.03.12 में किसी प्रकार के हस्तक्षेत की आवश्यकता नहीं है उनका आदेश स्थिर रखने योग्य है।

7–उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर कलेक्टर जिला उमरिया के प्रकरण कमांक 21/स्व0 निग0/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 31.03.12 उचित होने से स्थिर रखा जाता है तथा आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर